**भारत सरकार**

**रेल मंत्रालय**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 956**

**22.12.2017 को दिया जाने वाला उत्‍तर**

**रेलवे का सार्वजनिक क्षेत्र का दायित्व**

**956. श्री के॰ आर॰ अर्जुननः**

**श्रीमती विजिला सत्यानंतः**

**क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः**

(क) क्या रेलवे की सबसे बड़ी चुनौती कार्पोरेट क्षेत्र के कार्य निष्पादन से मेल करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के दायित्व को पूरा करना है;

(ख) क्या यह सच है कि सार्वजनिक सेवा के दायित्व को पूरा करने के लिए राजस्व की हानि 30,000 करोड़ रुपये जितनी अधिक है;

(ग) क्या यह भी सच है कि रेलवे अपनी माल-भाड़े वाले तथा फिट और बिना किराए वाले राजस्व को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था; और

(घ) क्या यह भी सच है कि इस साल बिना किराये की आमदनी में 72% बढ़ोतरी हुई और इसे बढ़ाकर अगले 10 साल में लगभग 35,000 करोड़ रुपये करने का लक्ष्य है?

**उत्‍तर**

**रेल मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (श्री राजेन गोहांई)**

(क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

रेलवे का सार्वजनिक क्षेत्र का दायित्‍व के संबंध में दिनांक 22.12.2017 को राज्‍य सभा में श्री के. आर. अर्जुनन और श्रीमती विजिला सत्‍यानंत द्वारा पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्‍न सं. 956 के भाग (क) से (घ) के उत्‍तर से संबंधित **विवरण**।

(क) और (ख): जी, हाँ। भारतीय रेलवे कुछ विशेष परिवहन गतिविधियों को संचालित करती है जो प्रकृति में अलाभप्रद हैं लेकिन समाज के वृहद हित में किए जाते हैं। कुल मिलाकर, 2015-16 के लिए इन गतिविधियों के कारण 35,959 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था।

(ग) और (घ): जी, हाँ। हाल ही में, रेल मंत्रालय ने मालभाड़ा यातायात को आकर्षित करने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं जैसे कि प्रमुख माल यातायात ग्राहकों के साथ लंबी अवधि के टैरिफ अनुबंध, स्टेशन से स्टेशन दरो से संबंधित दिशानिर्देश, खाली प्रवाह दिशाओं में स्वतः उदारीकृत मालभाड़ा रियायत योजना, बंदरगाह की संकुलन निकासी प्रभार को वापस लेना, भारतीय रेल पर रोल-ऑन-रोल-ऑफ सेवा का प्रसार, दर्साना/बेनापोल के रास्ते बांग्लादेश को पूर्व रेलवे से पत्थर यातायात की माल ढुलाई के लिए संकुलन प्रभार की वापसी, कोयले की दर सूची का यौक्तिकीकरण, मिनी रेक लोडिंग में अधिक लचीलापन, लौह अयस्क यातायात की माल ढुलाई की दोहरी नीति को वापस लेना, कम गमन दूरी रियायत को पुन: शुरू करना और 125 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक के प्रभार के लिए न्यूनतम दूरी में कमी, फ्रेट बास्‍केट का विस्तार, एक समान आकार के मानक बैगों का लदान करने के मामले में अनिवार्य (100%) वजन से वितरण, मैरी-गो-राउंड (एमजीआर) योजना आदि का यौक्तिकीकरण आदि।

इसके अलावा, रेल मंत्रालय माल यातायात हिस्सेदारी में सुधार के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से मालडिब्बों (चल स्टॉक) की खरीद, उदारीकृत मालडिब्बा निवेश योजना (एलडब्ल्यूआईएस), विशेष मालगाड़ी परिचालक (एसएफटीओ), ऑटोमोबाईल मालगाड़ी परिचालक (एएफटीओ), मालडिब्बा पट्टा योजना (डब्ल्यूएलएस), सार्वजनिक निजी भागीदारी के माध्यम से निजी माल यातायात टर्मिनलों (पीएफटी) का विकास आदि जैसी अन्य योजनाएं भी शुरू की हैं।

2015-16 की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016-17 में गैर-किराया राजस्व (विविध आमदनी) बढ़कर 74.88% हो गयी है। विश्व रेलवे की कई प्रणाली गैर-दर-सूची स्रोतों से 10% से 20% तक राजस्व उत्पन्न करतीं हैं। अगले पांच वर्षों की अवधि में, रेलवे परिसंपत्तियों का मौद्रीकरण करके और अन्य राजस्व उत्पन्न करने वाली गतिविधियों का उत्तरदायित्व लेकर इसे विश्व औसत तक पहुंचाने का प्रयास करेगी।

\*\*\*\*\*\*\*